न्यायालय राजस्व् अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 80/2017

राजूनाथ पुत्र रामकुमार जाति नाथ निवासी किशनपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र नाथ पुत्र सूरजनाथ जाति नाथ निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। ——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–रा.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 16.05.2017

उपस्थितिः–

श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री रामप्रताप तिवाडी, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रा.पत्र राज.उपनि. की धारा 11/14 के तहत अतिरिक्त कलक्टर के समक्ष पेश किया जिसके साथ स्थगन प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि रोही रघुनाथपुरा के खाता नं. 50/53 के ख.नं. 154/96 में 5.060है. रकबा को शिकायत प्रा.पत्र के निस्तारण तक अप्रार्थी रहन, बेचान न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। अधी. न्यायालय ने दिनांक 16.05.2017 को प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधी. न्यायालय में

रेस्पों. के विरूद्ध शिकायत प्रा.पत्र पेश किया जिसके साथ स्थगन प्रा.पत्र पेश किया। किन्तु अधी. न्यायालय ने मात्र 4 लाईन लिखकर प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज कर दिया। यदि प्रा.पत्र के निस्तारण के पूर्व विवादित भूमि का हस्तांतरण हो जाता है तो प्रार्थी के प्रा.पत्र का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने किस धारा में अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश किया, इसका अंकन नहीं है। इसके अलावा अपीलाधीन आदेश पारित होने के समय अपीलांट अधी. न्यायालय में उपस्थित थे फिर भी अपील मियाद बाहर पेश की है। प्रकरण के गुणावगुण का निर्णय अधी. न्यायालय द्वारा किया जाना है। अधी. न्यायालय ने अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला न मानते हुए प्रा.पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध दिनांक 13.08.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं करने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है। अधी. न्यायालय में प्रार्थी/अपीलांट ने राज.उपनि. की धारा 11/14 का प्रा.पत्र पेश किया जिसमें स्थगन प्रा.पत्र पेश किया, वह किन कानूनी प्रावधानों के तहत पेश किया। प्रा.पत्र पर अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधी. न्यायालय द्वारा प्रा.पत्र का अंतिम रूप

से निस्तारण किया जाना शेष है। इस न्यायालय में अपीलांट ने धारा 75 राज. भू–राजस्व अधि. के तहत अपील प्रस्तुत करना बताया है परन्तु इस अपील में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि अधी. न्यायालय ने भू–राजस्व अधि. 1956 के किस सैक्शन के तहत यह आलोच्य आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधि. के तहत यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में इस अपील के माध्यम से अपीलांट कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। इसके साथ ही न्यायहित में अधी. न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारों के उपस्थित हो जाने के दो माह के भीतर प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 का निर्णय किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर